संख्या-146/2022/I/245812/2022**/006-71-2099-263-2021**

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2- कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- कुल सचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 09 दिसम्बर, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य् रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/478, दिनांक 21-11-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1150.00 लाख (रूपए ग्यारह करोड पचास लाख मात्र) निम्नानुसार अवमुक्त करते हुए संबंधित संस्थान के कुलसचिव के निवर्तन पर अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	चिकित्सा संस्थान	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।	1000.00
2	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।	150.00
	योग	1150.00

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

1. **स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।**
2. **धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।**
3. **सम्बंधित कुलसचिव, विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त/व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी एक वित्तीय वर्ष के देयक अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।**
4. **उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु नियमावली 2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्तीय वर्ष 2022-2023 में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13-2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त/नियंत्रक का होगा।
6. धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,50,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050368 आसाध्य रोगो के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-425/दस-2022-23, दिनांक- 06 दिसम्बर, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-146/2022//1/245812/2022/006-71-2099-263-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ एवं सैफई इटावा।
6. संबंधित संस्थान के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Filename: doc1(2)
Directory: C:\Users\me-2\Documents
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 11/12/2014 4:35:00 PM
Change Number: 10
Last Saved On: 12/9/2022 3:27:00 PM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 45 Minutes
Last Printed On: 12/9/2022 3:27:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 2
Number of Words: 577 (approx.)
Number of Characters: 3,295 (approx.)